राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 88/2018 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी सगरेव 2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सगरेव
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री राकेश कुमार सुराणा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सगरेव के सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बाबूलाल सुवालका ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में श्री प्रभुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 20.06.2017 पट्टा क्रमांक 50 जारी किया गया। दुबारा इसी भूखण्ड का पट्टा पंचायत द्वारा दिनांक 27.07.2017 को श्री रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर के पक्ष में पट्टा क्रमांक 8 जारी किया। इसके संदर्भ में प्रभुलाल गुर्जर ने लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना की गई है। उक्त पट्टा खाली भूखण्ड का बनाया गया है जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विपरीत है। उक्त पट्टा जारी होने से एक माह पूर्व ही श्री प्रभुलाल गुर्जर पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव के नाम पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.06.2017 से जारी किया गया इस प्रकार एक भूखण्ड का पट्टा दोनों व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया जो गलत है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 27.07.2017 को खारिज किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 25.06.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार उपस्थित नहीं हैं। निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित

तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत सगरेव के सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बाबूलाल सुवालका ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में श्री प्रभुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 20.06.2017 पट्टा क्रमांक 50 जारी किया गया। दुबारा इसी भूखण्ड का पट्टा पंचायत द्वारा दिनांक 27.07.2017 को श्री रामलाल पिता मांगीलाल गुर्जर के पक्ष में पट्टा क्रमांक 8 जारी किया। इसके संदर्भ में प्रभुलाल गुर्जर ने लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी पत्रावली में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की अवहेलना की गई है। उक्त पट्टा खाली भूखण्ड का बनाया गया है जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के विपरीत है। उक्त पट्टा जारी होने से एक माह पूर्व ही श्री प्रभुलाल गुर्जर पिता चुन्ना गुर्जर निवासी सगरेव के नाम पट्टा संख्या 50 दिनांक 20.07.2017 से जारी किया गया इस प्रकार एक भूखण्ड का पट्टा दोनों व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया जो गलत है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 27.07.2017 को खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा पुराने आवासीय मकान का आबादी भूमि में पटटा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत सगरेव को आवेदन किया गया। ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा आपत्ति सूचना पत्र जारी किया गया। ग्राम पंचायत सगरेव मौका पर्चा प्रपत्र में गैर निगराकार सं. 01 को 50 वर्षों से अधिक के पुराने आवास होना अंकित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 1820 वर्गफीट का आवासीय भूखण्ड पटटा शुल्क राशि 200/–रू. जमा कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय (आबादी) भूमि का पटटा जारी किया गया। निगराकार ने उक्त पटटे पर पूर्व में दिनांक 20.06.2017 को पटटा संख्या 50 जारी होने का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नही कराया है। पटटा संख्या 8 दिनांक 27.07. 2017 को गैर निगराकार 01 के पक्ष में जारी कर गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा दिनांक 13.11.2017 को पंजीयन कराया जाना भी निगराकार द्वारा निगरानी के साथ संलग्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा के पत्रांक/16163 दिनांक 15.03.2018 में अंकित किया हैं। पंजीयन दस्तावेज दिनांक 13.11.2017 को निरस्त कराने के लिये प्रभूलाल गुर्जर निवासी सगरेव सक्षम न्यायालय में दाद हासिल करने के लिये स्वतंत्र हैं। गेर निगराकार संख्या 01 को खाली भूखण्ड पर पटटा जारी किया जाने संबंधी साक्ष्य निगराकार द्वारा उपलब्ध नही कराया हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत सगरेव एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.11.21 13:52:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: